

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्
"शक्ति भवन", 14-अगोके मार्ग,
लखनऊ ।

सं० 3399 -का. वि. नी./रा. वि. प-29/95-9441/87

दिनांक: 12 दिसम्बर, 1995

समस्त मुख्य अभियंता,
समस्त मंडी प्रबंधक,
समस्त मुख्य स्वीच अभियंता,
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ।

वार्तामार्ग
विद्युत नीति
अनुभाग-29

विषय:- 1. अप्रैल, 1984 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों
पर दिनांक 1 जुलाई, 1995 से महंगाई भत्ते
की अनुमन्यता ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषदाज्ञा सं० 1717-का. वि. नी./रा. वि. प-29/95-9441/87,
दिनांक 6 जून, 1995 के अनुक्रम में सूझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक
1 अप्रैल, 1984 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन पा रहे परिषदीय सेवकों को दिनांक
1 जुलाई, 1995 से निम्नांकित संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान किए जाने की
परिषद् ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :-

तिथि	वेतन स्तर	महंगाई भत्ते की दर
1-7-1995	रु० 3500 तक	वेतन तथा उस पर दिनांक 1-1-86 को अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ते का 136 प्रतिशत एवं दिनांक 1-1-86 को अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ता ।
	रु० 3501 से 6000 तक	वेतन तथा उस पर दिनांक 1-1-86 को अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ते का 102 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु० 5360/= प्रति माह एवं दिनांक 1-1-86 को अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ता ।
	रु० 6001 एवं तदुपरि	वेतन तथा उस पर दिनांक 1-1-86 को अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ते का 88 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु० 6610/= प्रति माह एवं दिनांक 1-1-86 को अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ता ।

2- उन परिषदीय सेवकों को जो किन्हीं कारणों से अप्रैल से पुनरीक्षित वेतनमानों में ही
वेतन आहरित कर रहे हैं उपरोक्त महंगाई भत्ता निम्न दरों पर अनुमन्य होगा :-

तिथि	वेतन स्तर	महंगाई भत्ते की दर
1-7-1995	रु० 3500 मूल वेतन तक	वेतन का 136 प्रतिशत
	रु० 3501 से 6000 तक	वेतन का 102 प्रतिशत किन्तु कम से कम रु० 4760/=
	रु० 6001 एवं तदुपरि	वेतन का 88 प्रतिशत किन्तु कम से कम रु० 6120/=

इस श्रेणी में आने वाले सेवकों को देय महंगाई भत्ते के आगमन हेतु उन्हें जो

दस्तावेज

धनराशि वर्तमान मूल वेतन एवं ठहराव वेतन पर महंगाई व तदर्थ महंगाई भत्ते के रूप में दिनांक 1-1-86 को अनुमन्य थी, जोड़ी जायेगी।

3- इस परिष्कार में स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु वेतन का तात्पर्य वर्तमान मूल वेतन जैसा कि विस्तृत पुस्तिका, खण्ड-दो, भाग-दो से चार के मूल नियम-91211 111 में परिभाषित है, से होगा अर्थात् महंगाई भत्ते के आगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्तरिम सहायता एवं अन्य भत्ते आदि भी वे मूल नियमों के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4- उपर्युक्त के अनुसार इन आदेशों द्वारा स्वीकृत बड़े हुए महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि रु 3500/- या उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई, 1995 से 30 नवम्बर, 1995 तक उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1 दिसम्बर, 1995 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 1 दिसम्बर, 1995 से जिसका भुगतान दिनांक 1 जनवरी, 1996 को देय होगा। कर्मचारियों को नकद किया जायेगा।

5- उपर्युक्त के अनुसार इन आदेशों द्वारा स्वीकृत बड़े हुए महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि रु 3500/- प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 1 जुलाई, 1995 से 30 नवम्बर, 1995 तक उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार से जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1 दिसम्बर, 1995 से जमा माना जायेगा तथा इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो उसे नकद दी जायेगी। दिनांक 1 दिसम्बर, 1995 से जिसका भुगतान दिनांक 1 जनवरी, 1996 को देय होगा, महंगाई भत्ते की इस अतिरिक्त देय किश्त का भुगतान नकद किया जायेगा किन्तु पहले दिनांक 1-7-90, 1-1-91, 1-7-91, 1-1-92 तथा 1-7-92 से प्रभावी महंगाई भत्ते की किश्तें जो भविष्य निधि खाते में नियमित अंदाज की तरह जमा की जाती थी, वह उसी प्रकार जमा होती रहेंगी।

6- डीपी०एस०/सीपी०एस० के सदस्यों को भी उक्त बढ़ी हुई धनराशि का देय अवशेष, यथा आदेश सं० 1120-का. वि. नो/रा. वि. प-29/93-94/87, दिनांक 19 अगस्त, 1993 में उल्लिखित उनके खातों में जमा किया जायेगा।

7- जिन कर्मचारियों की सेवायें इन आदेशों के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो कर्मचारी अधिकांता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 1996 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

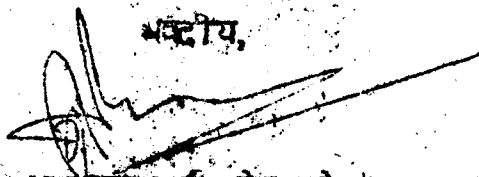
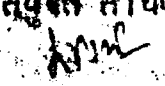
8- अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य महंगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा (Treatment) जिस प्रकार कायाविधि (Duty Period) के लिए माना जाता है।



9- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत भंडाई भत्ते को देय धनराशि की गणनाक्रम में निकटतम एक रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम की धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।

10- पुनरुद्घाटन के विभिन्न स्तरों पर उक्त तिथि को अनुमन्य भंडाई भत्ते की धनराशि एवं नियमित रूप से भविष्य निधि जाते में जमा करने वाली धनराशि की दशाति हुए एक सदस्यसभा सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। दिनांक 1.7.95 से 30.11.1995 तक के अवधि के भुगतान हेतु पुस्तक-4 व 5 में इंगित प्राकृत्या अपनाई जायेगी। उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की हुई भंडाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु मुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,


 महाराष्ट्र विचार सौता
 संयुक्त सचिव


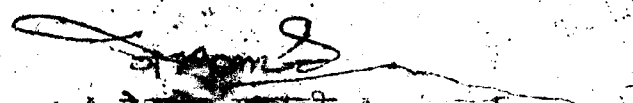
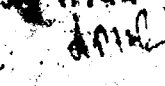
संलग्नक:- सदस्यसभा

सं० 3399 -का. वि. नं० 111/रा.वि-29/95-9444/87

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- नियंत्रक लेखा, उ० प्र० रा० वि० प०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- समस्त अधीनस्थ अभियंता/अधिकांसी अभियंता, उ० प्र० रा० वि० प०।
- 3- पुलिस महा निरीक्षक सतकर्ता, उ० प्र० रा० वि० प०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, राज्य सतकर्ता अधिकठान, उ० प्र० रा० वि० प०, डाला बाग, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ उप-महालेखाकार, उ० प्र० रा० वि० प०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० रा० वि० प०, विपुल पारध।
- 7- परिषद् सचिवालय के समस्त अनुभाग/अधिकारीगण।
- 8- संयुक्त प्रबंध समिति के सभी प्रमुख सदस्य/विरोध आयोग।

आज्ञा से,


 जे. ए. ए. शास्त्री
 संयुक्त सचिव


94-पी/87, दिनांक 12 दिसम्बर, 1995 का अनुसूचक।

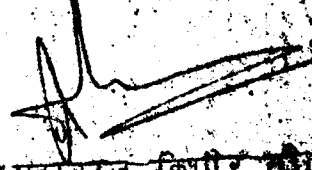
दिनांक 1.7.1995 से अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा भविष्य निधि खाते में जमा होने वाले महंगाई भत्ता की धराराशि का सद्योगणक

मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता [जीपीएस]	मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता [जीपीएस]
900.00	1458.00	0.00	1285.00	2080.00	0.00
915.00	1483.00	0.00	1290.00	2090.00	0.00
930.00	1506.00	0.00	1300.00	2105.00	0.00
945.00	1531.00	0.00	1315.00	2131.00	0.00
960.00	1556.00	0.00	1320.00	2137.00	0.00
980.00	1588.00	0.00	1330.00	2153.00	0.00
1000.00	1620.00	0.00	1345.00	2178.00	0.00
1020.00	1652.00	0.00	1350.00	2188.00	0.00
1040.00	1683.00	0.00	1360.00	2204.00	0.00
1060.00	1718.00	0.00	1375.00	2226.00	0.00
1065.00	1725.00	0.00	1390.00	2251.00	0.00
1080.00	1750.00	0.00	1415.00	2293.00	0.00
1090.00	1766.00	0.00	1420.00	2299.00	0.00
1100.00	1782.00	0.00	1430.00	2315.00	0.00
1105.00	1791.00	0.00	1450.00	2350.00	0.00
1115.00	1807.00	0.00	1455.00	2356.00	0.00
1125.00	1823.00	0.00	1470.00	2382.00	0.00
1130.00	1829.00	0.00	1495.00	2420.00	0.00
1140.00	1845.00	0.00	1510.00	2445.00	0.00
1150.00	1864.00	0.00	1535.00	2486.00	0.00
1155.00	1871.00	0.00	1550.00	2512.00	0.00
1165.00	1886.00	0.00	1575.00	2550.00	0.00
1175.00	1902.00	0.00	1600.00	2591.00	0.00
1180.00	1912.00	0.00	1615.00	2616.00	0.00
1190.00	1928.00	0.00	1650.00	2674.00	0.00
1200.00	1944.00	0.00	1655.00	2680.00	0.00
1210.00	1959.00	0.00	1695.00	2744.00	0.00
1215.00	1969.00	0.00	1700.00	2753.00	0.00
1225.00	1985.00	0.00	1750.00	2835.00	0.00
1230.00	1991.00	0.00	1800.00	2915.00	0.00
1240.00	2007.00	0.00	1850.00	2997.00	0.00
1255.00	2032.00	0.00	1860.00	3013.00	0.00
1260.00	2042.00	0.00	1900.00	3077.00	0.00
1265.00	2048.00	0.00	1920.00	3109.00	0.00
1270.00	2058.00	0.00	1950.00	3159.00	0.00

[Handwritten signature]

मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता [जी.पी.एस.]	मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता [जी.पी.एस.]
1980.00	3207.00	0.00	2705.00	4382.00	0
2000.00	3239.00	0.00	2750.00	4455.00	0.00
2040.00	3303.00	0.00	2765.00	4478.00	0.00
2060.00	3337.00	0.00	2775.00	4494.00	0.00
2100.00	3401.00	0.00	2780.00	4503.00	0.00
2120.00	3433.00	0.00	2825.00	4576.00	0.00
2160.00	3499.00	0.00	2840.00	4599.00	0.00
2175.00	3522.00	0.00	2850.00	4617.00	0.00
2180.00	3531.00	0.00	2855.00	4624.00	0.00
2220.00	3595.00	0.00	2900.00	4697.00	0.00
2225.00	3604.00	0.00	2915.00	4722.00	0.00
2240.00	3627.00	0.00	2930.00	4745.00	0.00
2250.00	3645.00	0.00	2950.00	4779.00	0.00
2255.00	3652.00	0.00	3000.00	4871.00	0.00
2280.00	3693.00	0.00	3005.00	4884.00	0.00
2300.00	3725.00	0.00	3050.00	4984.00	0.00
2315.00	3750.00	0.00	3080.00	5033.00	0.00
2325.00	3766.00	0.00	3100.00	5066.00	0.00
2330.00	3773.00	0.00	3150.00	5150.00	0.00
2340.00	3789.00	0.00	3155.00	5157.00	0.00
2375.00	3846.00	0.00	3200.00	5242.00	0.00
2390.00	3871.00	0.00	3250.00	5338.00	0.00
2400.00	3887.00	0.00	3300.00	5434.00	0.00
2405.00	3896.00	0.00	3350.00	5528.00	0.00
2450.00	3969.00	0.00	3400.00	5620.00	0.00
2465.00	3992.00	0.00	3450.00	5712.00	0.00
2475.00	4008.00	0.00	3500.00	5801.00	0.00
2480.00	4017.00	0.00	3600.00	5909.00	1773.00
2525.00	4090.00	0.00	3625.00	5811.00	1773.00
2540.00	4113.00	0.00	3700.00	5818.00	1773.00
2550.00	4131.00	0.00	3750.00	5824.00	1773.00
2555.00	4138.00	0.00	3800.00	5826.00	1773.00
2600.00	4211.00	0.00	3875.00	5829.00	1773.00
2615.00	4236.00	0.00	4000.00	5840.00	1773.00
2625.00	4252.00	0.00	4125.00	5852.00	1773.00
2630.00	4259.00	0.00	4250.00	5866.00	1773.00
2675.00	4332.00	0.00	4375.00	5875.00	1773.00
2690.00	4357.00	0.00	4500.00	5883.00	1773.00
2700.00	4371.00	0.00	4625.00	5896.00	1773.00

मूल वेतन	कुल महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता [जी.एम.डी.एफ.]
4750.00	5940.00	1783.00
4875.00	6096.00	1877.00
5000.00	6260.00	1877.00
5125.00	6413.00	1947.00
5150.00	6443.00	1951.00
5300.00	6443.00	1951.00
5450.00	6443.00	1951.00
5600.00	6617.00	2002.00
5750.00	6794.00	2111.00
5900.00	6971.00	2167.00
6050.00	7090.00	2204.00
6100.00	7090.00	2204.00
6300.00	7090.00	2204.00
6500.00	7090.00	2204.00
6700.00	7090.00	2204.00
6900.00	7093.00	2172.00
7100.00	7182.00	2203.00
7300.00	7385.00	2245.00
7500.00	7587.00	2328.00
7700.00	7789.00	2389.00
7750.00	7841.00	2405.00
7900.00	7992.00	2452.00
8000.00	8093.00	2482.00
8100.00	8194.00	2513.00


 महाराज किशोर लोदी
 संयुक्त सचिव
 6/3/22